न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 31 / 2022

दायर दिनांक – 04.04.2022

निर्णय दिनांक – 12.08.2022

जीसीएमएस नं0 – 2022 / 77

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. श्री हरिशचंद पुत्र श्री अमरा जाति माली निवासी जमनीकुंड रोड, नाला पुष्कर, तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. श्री नरेश पुत्र मूलचंद जाति माली 2. श्री राजेंद्र पुत्र मूलचंद जाति माली 3. श्री सुरेंद्र पुत्र मूलचंद जाति माली 4. श्रीमती सुगन कंवर पत्नी रतनसिंह जाति राजपूत 5. श्रीमती संतोष जोशी पत्नी प्रताप कुमार वर्मा 6. श्री सीताराम पुत्र गणपतलाल जाति माली 7. श्रीमती सौभाग्यवती कंचन शर्मा पत्नी कल्याणमल शर्मा जाति ब्राह्मण 8. श्रीमती उमा टाक पत्नी रामस्वरूप जाति माली 9. श्री रूपचंद पुत्र अमरा जाति माली 10. श्रीमती शशि शर्मा पत्नी लक्ष्मीनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण 11. नगरपालिका, पुष्कर जरिये अधिशाषी अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर। 12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1.श्री फिरोज मो0, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2.श्री सरफुद्दीन, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं.1
[illegible] सरकार जरिये तहसीलदार,
[illegible]कर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:20 IST
Reason: SelfAttested

12.8.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131 व 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजीयात के वर्किंग खसरा खाता संख्या 385 के खसरा नंबर 1814 रकबा 04—18—00 बीघा के नवीन खसरा नंबरान 1187 रकबा 0.21 हैक्ट0, 1189 रकबा 0.45 हैक्ट0, 1390 रकबा 0.15 हैक्ट0 में स्वीकृत नामा0 सं0 885 दिनांक 18.04.2007 एवं 1135 दिनांक 20.10.2009 के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करके नवीन अंकन करने बाबत् यह प्रार्थना—पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना—पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3, 5 लगायत 10 स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि बाबत् अपनी हस्ताक्षरमय सहमति प्रदान की। दिनांक 08.07.2022 को अप्रार्थी सं0 04 लगातार बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी सं0 04 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र के क्रम में तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना—पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार, पुष्कर द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना—पत्र में कथन किया कि "बिन्दू संख्या 1 लगायत 3 में किया गया कथन रिकॉर्ड अनुसार सही हैं। बिन्दू संख्या 4 में कथित कथनों के संबंध में प्राप्त पटवारी हल्का पुष्कर की जांच अनुसार गत साबिक रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट अनुसार निम्न खसरों में से पर प्रस्तावित रकबा/प्रविष्टि अनुसार शुद्धि आदेश जारी किया जाना उचित बताया है:—

खसरा नंबर 1189 रकबा 0.45 हैक्ट0 में से :—

1. रकबा 0.2590 हैक्ट0 पर नरेश राजेंद्र सुरेंद्र सिंगोदिया पुत्रगण मूलचंद सिंगोदिया के हक व हिस्से की भूमि है जिसको नगरपालिका, पुष्कर के नाम दर्ज किया जावें।
2. रकबा 0.1910 हैक्ट0 पर हरिशचन्द्र पुत्र अमरा जाति माली के हक व हिस्से की भूमि है जिसको नगरपालिका, पुष्कर के नाम दर्ज किया जावें।

खसरा नंबर 1187 रकबा 0.21 हैक्ट0 में से :—

1. हरिशचन्द्र पुत्र अमरा जाति माली के रकबा 0.17[illegible] हैक्ट0 में से 0.0113 हैक्ट0 भूमि नगरपालिका, पुष्कर के नाम दर्ज किया जावें व रकबा 0.[illegible]594 हैक्ट0 भूमि हरिशचन्द्र पुत्र अमरा जाति माली के नाम दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:20 IST
Reason: SelfAttested

12.8.22

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

2. रकबा 0.0316 हैक्ट0 भूमि पर शशि शर्मा पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण एवं शशि शर्मा के द्वारा समर्पण रास्ते हेतु करने से नगरपालिका, पुष्कर के नाम दर्ज किया जावें।
3. रकबा 0.0077 हैक्ट0 भूमि पर श्रीमती कंचन शर्मा पत्नी कल्याणमल शर्मा निवासी नाला पुष्कर के नाम दर्ज किया जावें।

खसरा नंबर 1390 रकबा 0.15 हैक्ट0 में से :–

1. रकबा 0.0255 हैक्ट0 भूमि पर श्रीमती कंचन शर्मा पत्नी कल्याणमल शर्मा निवासी नाला पुष्कर के द्वारा समर्पण रास्ते हेतु करने से नगरपालिका, पुष्कर के नाम दर्ज किया जावें।
2. रकबा 0.0307 हैक्ट0 पर सुगनकंवर पत्नी रतनसिंह राजपूत निवासी पोकरण जिला जैसलमेर के नाम दर्ज किया जावें।
3. रकबा 0.0153 हैक्ट0 पर सीताराम पुत्र गणपत जाति माली निवासी ईमली वाली गली जोंसगंज अजमेर के नाम दर्ज किया जावें।
4. रकबा 0.0307 हैक्ट0 पर उमा टांक पत्नी रामस्वरूप टांक जाति माली निवासी गली नंबर 15, सुभाष नगर, अजमेर के नाम दर्ज किया जावें।
5. रकबा 0.0093 हैक्ट0 पर संतोष जोशी पत्नी प्रतापकुमार जाति ब्राह्मण हाल निवासी गणेश जी के मंदिर के पास, आगरा गेट, अजमेर के नाम दर्ज किया जावें।
6. रकबा 0.0385 हैक्ट0 पर हरिशचंद्र पुत्र अमरा जाति माली निवासी नाला पुष्कर के नाम दर्ज किया जावें।

इसी क्रम में अप्रार्थी सं0 11 नगर पालिका, पुष्कर जरिये अधिशाषी अधिकारी, पुष्कर द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर, कथन किया कि नगरपालिका, पुष्कर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज और समर्पण के कारण उक्त भूमि का भू–रूपान्तरण के होने के कारण राजस्व जमाबंदी में नगरपालिका, पुष्कर के नाम इंद्राज करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, नगरपालिका, पुष्कर का जवाब तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र, अप्रार्थीगण की हस्ताक्षरमय सहमति इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित प्रार्थी के आराजी कृषि भूमि के वर्किंग खसरा खाता संख्या 385 के खसरा नंबर 1814 रकबा 04–18–00 बीघा के नवीन खसरा नंबरान 1187 रकबा 0.21 हैक्ट0, 1189 रकबा 0.45 हैक्ट0, 1390 रकबा 0.15 हैक्ट0 में स्वीकृत [illegible] 885 दिनांक 18.04.2007 एवं 1135 दिनांक 20.10.2009 के अनुसार वर्तमान [illegible] दुरुस्ती करके नवीन अंकन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:20 IST
Reason: SelfAttested

12.8.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित प्रार्थी के आराजी कृषि भूमि के वर्किंग खसरा खाता संख्या 385 के खसरा नंबर 1814 रकबा 04–18–00 बीघा के नवीन खसरा नंबरान 1187 रकबा 0.21 हैक्ट0, 1189 रकबा 0.45 हैक्ट0, 1390 रकबा 0.15 हैक्ट0 में स्वीकृत नामा0 सं0 885 दिनांक 18.04.2007 एवं 1135 दिनांक 20.10.2009 के अनुसार निम्न प्रकार से दुरूस्ती अंकन की जावें :–

खसरा नंबर 1189 रकबा 0.45 हैक्ट0 में से :–

1. रकबा 0.2590 हैक्ट0 पर नरेश राजेंद्र सुरेंद्र सिंगोदिया पुत्रगण मूलचंद सिंगोदिया के हक व हिस्से की भूमि है जिसको नगरपालिका, पुष्कर के नाम दर्ज किया जावें।
2. रकबा 0.1910 हैक्ट0 पर हरिशचन्द्र पुत्र अमरा जाति माली के हक व हिस्से की भूमि है जिसको नगरपालिका, पुष्कर के नाम दर्ज किया जावें।

खसरा नंबर 1187 रकबा 0.21 हैक्ट0 में से :–

1. हरिशचन्द्र पुत्र अमरा जाति माली के रकबा 0.1707 हैक्ट0 में से 0.0113 हैक्ट0 भूमि नगरपालिका, पुष्कर के नाम दर्ज किया जावें व शेष रकबा 0.1594 हैक्ट0 भूमि हरिशचन्द्र पुत्र अमरा जाति माली के नाम दर्ज किया जावें।
2. रकबा 0.0316 हैक्ट0 भूमि पर शशि शर्मा पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण एवं शशि शर्मा के द्वारा समर्पण रास्ते हेतु करने से नगरपालिका, पुष्कर के नाम दर्ज किया जावें।
3. रकबा 0.0077 हैक्ट0 भूमि पर श्रीमती कंचन शर्मा पत्नी कल्याणमल शर्मा निवासी नाला पुष्कर के नाम दर्ज किया जावें।

खसरा नंबर 1390 रकबा 0.15 हैक्ट0 में से :–

1. रकबा 0.0255 हैक्ट0 भूमि पर श्रीमती कंचन शर्मा पत्नी कल्याणमल शर्मा निवासी नाला पुष्कर के द्वारा समर्पण रास्ते हेतु करने से नगरपालिका, पुष्कर के नाम दर्ज किया जावें।
2. रकबा 0.0307 हैक्ट0 पर सुगनकंवर पत्नी रतनसिंह राजपूत निवासी पोकरण जिला जैसलमेर के नाम दर्ज किया जावें।

12.8.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:20 IST
Reason: SelfAttested

3. रकबा 0.0153 हैक्ट0 पर सीताराम पुत्र गणपत जाति माली निवासी ईमली वाली गली जोंसगंज अजमेर के नाम दर्ज किया जावें।
4. रकबा 0.0307 हैक्ट0 पर उमा टांक पत्नी रामस्वरूप टांक जाति माली निवासी गली नंबर 15, सुभाष नगर, अजमेर के नाम दर्ज किया जावें।
5. रकबा 0.0093 हैक्ट0 पर संतोष जोशी पत्नी प्रतापकुमार जाति ब्राह्मण हाल निवासी गणेश जी के मंदिर के पास, आगरा गेट, अजमेर के नाम दर्ज किया जावें।
6. रकबा 0.0385 हैक्ट0 पर हरिशचंद्र पुत्र अमरा जाति माली निवासी नाला पुष्कर के नाम दर्ज किया जावें। (संलग्न नजरी नक्शा को निर्णय का भाग समझा जावें)। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

12.8.22
सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:20 IST
Reason: SelfAttested

नजरी नक्शा ग्राम पुष्कर

खसरा नम्बर 1187, 1189 व 1390

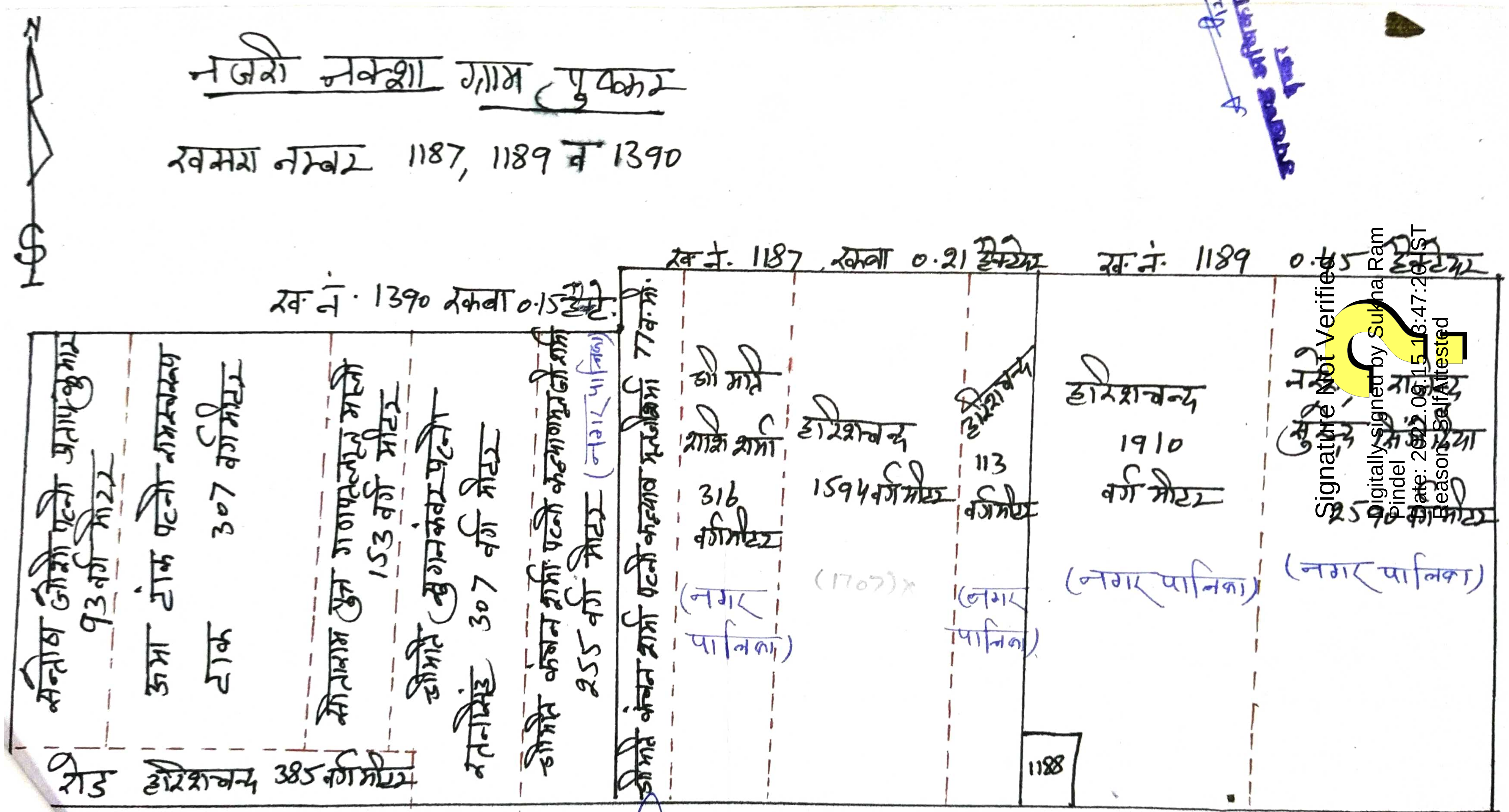

पटवारी
पटवार मण्डल पुष्कर

तहसीलदार, पुष्कर

उपखण्ड अधिकारी पुष्कर 12.8.22

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:20 IST
Reason: SelfAttested